

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

जायक रूपारीदेवी, धुलजी भाई चैरीटेबल ट्रस्ट बांसवाड़ा मार्फत अध्यक्ष, विरेन्द्र कुमार शाह पिता महीपाल जी शाह निवासी खान्दु कोलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का जो पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गयी थी, का राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 (4) में प्रदत्त अधिकारों के तहत वाणिज्यिक प्रयोजना के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :-

1- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति :- जायक रूपारीदेवी, धुलजी भाई चैरीटेबल ट्रस्ट बांसवाड़ा
के नाम सहित तथा पूरा पता :- मार्फत अध्यक्ष, विरेन्द्र कुमार शाह पिता महीपाल जी शाह
निवासी खान्दु कोलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित :- नहीं
जनजाति का सदस्य है ?

3- मूल रूपान्तरण का प्रयोजन एवं विवरण :- विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के आदेश
क्रमांक 3038-44 दिनांक 26.12.2008

4- संशोधित संपरिवर्तन भूमि का प्रयोजन :- वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

5- संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा :-

(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम :- ग्राम कुपड़ा, पटवार मण्डल कुपड़ा तहसील बांसवाड़ा

(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या :- 318 रकबा 1-03 बीघा अर्थात् 1863 वर्गमीटर
का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित करते हुए :- उपरोक्तानुसार
संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में अथवा वर्ग मी. में)

टिप्पणी:- अकृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शात हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से
सत्यापित प्रति संलग्न है।

6- संपरिवर्तन का प्रयोजन :- वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

7- सद्य प्रीमियम की दर :- डी.एल.सी.दर रूपया 2,30,000/- प्रति बीघा के अनुसार 1863
वर्गमीटर भूमि की कीमत रूपया 2,64,500/- की 10 प्रतिशत राशि
रूपया 26,450/- देय होगा। चूंकि चालान संख्या 552 दिनांक
24.12.2008 द्वारा पूर्व में 19838/- रु जमा होकर समायोजित हो
चुकी है। अतः आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु
अब शेष राशि रूपया 6612/- रु देय है।

8- चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा करायी :- चालान संख्या क्रमशः 947 दिनांक 27-02-2009 मद
गयी प्रीमियम की की रकम (0029) में 6612/- रु जमा हो चुका है।

9- चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई :- शून्य
है

10- चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई :- शून्य
है की जमा करायी गयी रकम

11- क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 12 के :- नहीं
अधीन जारी किया गया है ?

12- अन्य विशेषधियाँ यदि कोई हों :- 1. नियमानुसार लगान की कमी आवासीय प्रयोजनार्थ
संपरिवर्तन में की जा चुकी है।

13- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा।

(क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के
लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में
असमर्थ रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।

(ग) नियम-4 में तृथा यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) जायकप्रयोमी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि
मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) निर्माण नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित मुख्य सड़क के मध्य से 200फीट भूमि छोड़कर
किया जाएगा।

(च) नियम-11 के अनुसार भूमि हस्तान्तरण के लिये अधोहरताधारकर्ता से नियमानुसार पुर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

विहित प्राधिकारी की मुहर

प्रधानाध्यापक

रा.मा.वि.बांसवाड़ा
जि.बांसवाड़ा (राज.)

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर बांसवाड़ा)

प्रतिलिपि :-

1. उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

3. जिला राजस्व लेखाकार, बांसवाड़ा

5. पटवारी-हल्का कुपड़ा

7. जायक रूपारीदेवी, धुलजी भाई चैरीटेबल ट्रस्ट बांसवाड़ा मार्फत अध्यक्ष, विरेन्द्र कुमार शाह पिता महीपाल जी
निवासी खान्दु कोलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर बांसवाड़ा)

कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- एफ 2 (2) राज/09/९०६

दिनांक :- 28.01.2010

ज्ञायक रूपाली देवी,
धुलजी भाई चेरिटेबल ट्रस्ट,
बांसवाड़ा।

विषय :- वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्पत्तिवर्तित भूमि का शैक्षणिक उपयोग लेने बाबत।

प्रसंग :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2010

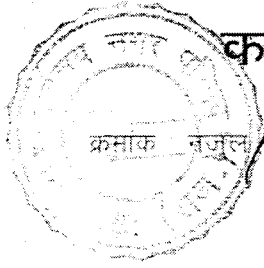
इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 2 (2) राज/सम्पत्तिवर्तन/09/793-99 दिनांक 2-6-2009 द्वारा ग्राम कूपड़ा तहसील बांसवाड़ा की आराजी नम्बर 618 रकबा 1.03 बीघा अर्थात् 1863 वर्गमीटर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्पत्तिवर्तन किया गया था।

आपने प्रासंगिक पत्र द्वारा सम्पत्तिवर्तन आदेश में "वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वास्ते शिक्षा कॉलेज स्थापना" का उल्लेख चाहा है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि वाणिज्यिक प्रयोजन में शिक्षा कॉलेज स्थापना का प्रयोजन भी शामिल है।



(Signature)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा



कार्यालय नगर परिषद्, बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक नजूल/13876

दिनांक : 4/2/13

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञायक रुपारी देवी धुलजी भाई चेरटेबल ट्रस्ट (रजि.) के अध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुमार शाह पिता श्री महीपाल शाह जाति जैन, निवासी 110-111, सर्वार्थसिद्धि अपार्टमेन्ट, खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.) द्वारा राजस्व ग्राम कूपड़ा 'बी', तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित सर्वे नं. 318 की 15 बिस्वा अर्थात् 1215 वर्गमीटर, 13068 वर्गफीट भूमि को आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ "शैक्षणिक" हेतु आवेदन शुल्क जरिये रसीद सं. 260/76 दिनांक 04/02/2013, रुपया 6075/- एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क रुपया 3,20,166/- जरिये रसीद सं. 260/77 दिनांक 04/02/2013 के द्वारा जमा करवा दिये गये है। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में शिक्षा कॉलेज स्थापना का प्रयोजन शामिल है।

आयुक्त नगर
नगर परिषद्, बांसवाड़ा (राज.)